

राजस्थान --सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/स्थायीकरण/सिरोही/एस-661/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफजी/रूत्स/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै ग्रेडिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/-- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियमान तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	सिन्धु मीणा	07.10.89	सिरोही	11.02.16	20.02.18	21.02.18
2	हितेश कुमार	01.08.89	सिरोही	21.03.16	20.03.18	21.03.18
3	शीतल वैष्णव	08.12.86	सिरोही	11.02.16	10.02.18	11.02.18
4	पीयूष सुथार	15.06.86	सिरोही	11.02.16	10.02.18	11.02.18
5	मंजूला निनाभा	04.07.85	सिरोही	12.02.16	11.02.18	12.02.18
6	सुनीता डामोर	14.08.80	सिरोही	12.02.16	11.02.18	12.02.18
7	निधी नम्रता सिंह	21.01.85	सिरोही	11.02.16	10.02.18	11.02.18
8	लता मोरवाल	02.12.87	सिरोही	16.02.16	15.02.18	16.02.18

नोट:- क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्मिकां सिन्धु मीणा का निदेशालय के पत्र क्रमांक 975 दिनांक 17.7.18 के द्वारा 40 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसलिये कार्मिका के परिवीक्षाकाल में 10 दिवस की अगिवृद्धि करते हुये कार्मिका की परिवीक्षाकाल की पूर्ण करने की तिथि दिनांक 20.02.18 ही पढी जावे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/स्थायीकरण/सिरोही/एस-661/2018/1391

दिनांक:- 18-10-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,सिरोही।
2. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय चैकलाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।